न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 67/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/104)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. बलजिन्द्र कौर उर्फ बलविन्द्र कौर पत्नी सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गजसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर।	1. कुलमीत कौर पत्नी चरणजीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. कुलविन्द्र कौर पत्नी कुलवीर सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसलीन कौर पत्नी सर्वजीत सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. सतवीर कौर पत्नी हरपाल सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 5. गुरजीत सिंह पुत्र बलकार सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. गुरमीत कौर पत्नी गुरमेज सिंह पुत्री गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एम एस आर, तहसील अनुपगढ। 7. जसविन्द्र कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री गण्डा सिंह पत्नी काबल सिंह जाति जटसिख निवासी 47 जीबी तहसील विजयनगर। 8. जसवीर कौर पुत्री गण्डा सिंह पत्नी बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 9. दलवीर कौर पुत्री गण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी 50 जीबी तहसील अनुपगढ। 10. बलजीत कौर पुत्री गण्डा सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 15 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 11. सन्ता सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति जटसिख निवासी 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 12. हरबंस कौर पुत्री गण्डा सिंह पत्नी गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी 27 ए तहसील अनुपगढ। 13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 30.04.2024

उपस्थितः1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी
2. श्री गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6,7,9,10,12

——निर्णय—— **दिनांकः 27.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/56 के मुरब्बा नम्बर 17, 18 की कुल 9.360 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित खाता में वादी के नाम 2.626 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हम पक्षकारान ने उक्त कृषि भूमि का अपनी जोत व कब्जा अनुसार आपसी सहमति से मौखिक विभाजन कर लिया था। मौखिक विभाजन अनुसार वादिया का कब्जा काश्त चक 49 एफ के मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 16 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.228 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 25 की 0.146 हैक्टेयर कुल 2.626 हैक्टेयर भूमि पर है। मौखिक बंटवारा के अनुसार ही वादी व अन्य प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर निरंतर, निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण पारिवारिक मौखिक बंटवारा में प्राप्त भूमि पर कब्जा काश्त है और भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। भूमि पृथक-पृथक चको व खाता में वर्णित है और बंटवारा किया हुआ है। रकबा का बंटवारा व काश्त के अनुसार विभाजन नहीं होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/56 के मुरब्बा नम्बर 17, 18 की कुल 9.360 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम दर्ज भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने व वादिया का नाम बलजिन्द्र कौर उर्फ बलविन्द्र कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6,7,9,10,12 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली उपस्थित आये व जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 8, 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने बाबत निवेदन किया है, शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि कि राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/56 के मुरब्बा नम्बर 17, 18 की कुल 9.360 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त खाता में अंकित नाम बलजिन्द्र कौर व बलविन्द्र कौर के संबध जांच कर, माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी बलजिन्द्र कौर उर्फ बलविन्द्र कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 1208 दिनांक 26.05.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ की गई। उपस्थितजनों ने बताया कि बलजिन्द्र कौर व बलविन्द्र कौर एक ही महिला है। जिसके पति का नाम सुरजीत सिंह है। वादी के नाम के संबध में सहखातेदार हरबन्स कौर के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 49 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 60/56 के मुरब्बा नम्बर 17, 18 की कुल 9.360 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	बलजिन्द्र कौर उर्फ बलविन्द्र कौर पत्नी सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गजसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर। (2.714 हैक्टेयर)	49 एफ	17	16,17,18	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.30
				19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.10
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.89
				22 ता 25	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.40
			18	25	0.234 हैक्टेयर	नहरी	1.94

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)